उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-115/2022/2523/26-3-2022-1(50)/2020

लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2022

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-114/2022/1906/26-3-2022-1(50)/2020, दिनांक-28.10.2022 के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-मुगीशपुर अयोध्या में साज-सज्जा, फर्नीचर, बेडिंग एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में धनराशि रू0-150.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन क्रमांक-6 पर त्रुटिवश प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ के स्थान पर क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ को शासनादेश की प्रति पृष्ठांकित कर प्रेषित की गयी है। अतः उक्त त्रुटि का निराकरण करते हुये एतद्द्वारा संदर्भगत शासनादेश दिनांक-28.10.2022 के पृष्ठांकन में क्रमांक-6 पर अंकित क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ को प्रतिस्थापित करते हुये प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ अंकित किया जाता है।

3- उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक-28.10.2022 के पृष्ठांकन में क्रमांक-6 पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ पढ़ा जायेगा।

4- उक्त शासनादेश संख्या-114/2022/1906/26-3-2022-1(50)/2020, दिनांक-28.10.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

रजनीश चन्द्र

विशेष सचिव।

पृ0सं0-115/2022/2523 (1)/26-3-2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6- प्रबंधक निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लि0 लखनऊ।

7- निदेशक, एन0आई0सी0।

8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।